न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/15/2026	2026/54	07.04.2026	30.04.2026

1– प्रगति लैण्डकॉन प्रा0 लि0 290, एजीसीआर इन्कलेव दिल्ली–92 जरिये रेजूलेशन हस्ताक्षरकर्ता पवन कुमार गुप्ता पुत्र अमन प्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी 1/4670 ए, बलबीर नगर एक्सटेन्शन, शाहदरा दिल्ली।

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा दिनाक 05.09.2022 नामान्तकरण संख्या 988 वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा को खारिज किये जाने बाबत।

उपस्थित–
01. श्री राजेश कॉवट –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 988 निर्णय दिनांक 05.09.2022 वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 116 रकबा 0.8000 है0 किस्म गैरमुमकिन आबादी अपीलान्ट की कम्पनी की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है, जिस पर अपीलान्ट की कम्पनी काबिज दाखिल है। जिसमें से रेस्पोडेन्ट तहसीलदार तिजारा के द्वारा गैरकानूनी रूप से 0.0600 है0 का रास्ता का अंकन कर उक्त खसरा नम्बर का 501/116 रकबा 0.0600 है0 गैरमुमकिन रास्ता का इन्द्राज कर उसका गलत रूप से नामान्तकरण खोला गया है। जबकि राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो को आबादी की भूमि में रास्ता कायम करने का कानूनन हक व अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा कायमी रिपोर्ट मौका पर्चा एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवायी गयी रिपोर्ट के बाबत मिन अपीलान्ट को सूचित नही किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 15.12.2025 को मौके पर गया तो वहॉ उपस्थित स्थानीय लोगो ने जानकारी दी की उक्त आराजी में से तहसीलदार तिजारा द्वारा रास्ता बाबत नापतौल की गयी है। अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया, जिस पर आराजी खसरा न0 116 को दो भागो में विभाजित पाया जिसमें खसरा न0 500/116 रकबा 0.74 है0 गैरमुमकिन आबादी व 501/116 रकबा 0.0600 है0 गैरमुमकिन रास्ता अंकन था। जिस पर नकल हेतु आवेदन किया गया दिनाक 29.12.2025 नकल प्राप्त की जाकर अभिभाषक से कानूनी सलाह–मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, वह उपरोक्त कारणो से हुआ है। विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 31.12.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 03 वर्ष,

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

अपील किये जाने अपील

03 माह अत्याधिक पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विलम्ब के मामलो मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 116 रकबा 0.8000 है0 किस्म गैरमुमकिन आबादी अपीलान्ट की कम्पनी की रिकार्डेड खातेदारी आराजी है, जिस पर अपीलान्ट की कम्पनी काबिज दाखिल है, जिसमें से तहत अदालत के द्वारा गैरकानूनी रूप से 0.0600 है0 का रास्ते का अंकन कर उक्त खसरा नम्बर का 501/116 रकबा 0.0600 है0 गैरमुमकिन रास्ता का इन्द्राज कर उसका गलत रूप से नामान्तकरण खोला गया है। जबकि राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो को आबादी की भूमि में रास्ता कायम करने का कानूनन हक व अधिकार नही है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया। आराजी खसरा न0 116 रकबा 0.8000 है0 किस्म गैरमुमकिन आबादी कम्पनी की खातेदारी में दर्ज है, उक्त खसरा नम्बर को दो भागो में विभाजित कर खसरा न0 500/116 रकबा 0.74 है0 गैरमुमकिन आबादी व 501/116 रकबा 0.0600 है0 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया है। पत्रावली के संलग्न पत्रादि से जाहिर की वर्णित आराजी के बाबत तहत अदालत द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू0 अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के अनुसार राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप–6) विभाग प–3 (2) राज–6/2003/परि. दिनाक 10.08.2016 के अनुसार मौके पर खातेदारी भूमि में कदीमी रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को प्रेषित किया गया है, जबकि प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है, गैरमुमकिन आबादी के मामले में कार्यवाही किये जाने का क्षेत्राधिका तहत अदालत को नही है, केवल कृषि भूमि में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 988 वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा निर्णय दिनाक 05.09.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण की पुनः जॉच कर विधिक प्रावधानुसार अपीलान्ट को पुन सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा